मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 13.06.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 21 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत "पीयूष मोर्डिया" अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व "आर.पी.सिंह" पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 21 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः20.08.2019 को थाना विन्ध्याचल पर एक महिला द्वारा अज्ञात के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के घर से कपड़ा सिलाने के लिए बाजार जाने तथा घर वापस न आने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-228/2019 धारा 363 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के क्रम में उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सनातन कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक विवेकानन्द उपाध्याय, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी पंकज कुमार व महिला आरक्षी विजेता साहू तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त—निलेश विश्वकर्मा पुत्र राजेन्द्र निवासी मातौल मरगुवा थाना लिथौरा जनपद टीकमगढ़, मध्य प्रदेश

को अन्तर्गत धारा 376 भादवि सपठित धारा-4(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 363,366 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 21 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।